रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 299] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 1972/ज्येष्ठ 26, 1894
No. 299] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 1972/JYAISTHA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th June 1972

S.O. 432-A(E).—Whereas a seat has been allocated in the Council of States to be filled by the representatives of the Union territory of Mizoram as shown in the Fourth Schedule to the Constitution of India;

And whereas an election has to be held to fill the seat;

And whereas under the North-Eastern Areas Reorganisation (Removal of Difficulties) Order No. 1, dated the 21st March, 1972, the said election is to be held in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and the rules and orders made thereunder as if it were a bye-election to fill a casual vacancy in the Council of States;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-section (4) of section 27A and section 27H of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby calls upon the members of the electoral college for the Union territory of Mizoram to elect, in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951, and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the seat before the 6th July, 1972 (Thursday).

[No. 100/CS-MIZ/6/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 जून, 1972

एस० ओ० 432-ए० (अ०).—यतः, भारत के संविधान की चतुर्थ अनुसूची में यथा वर्णित मीजोराम संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने के लिए राज्य सभा में एक स्थान आवंटित किया गया है ;

और, यतः, अब उस स्थान को भरने के लिए निर्वाचन किया जाना है ;

और, यतः, पूर्वोत्तर, क्षेत्र पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश सं० 1, तारीख 21 मार्च, 1972 के अधीन उक्त निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार किया जाना है, मानों यह राज्यसभा में हुई एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए एक उप-निर्वाचन हो ।

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 27 क की उप-धारा (4) और धारा 27 ज के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग मीजोराम संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण के सदस्यों से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे उस स्थान को भरने के लिए 6 जुलाई, 1972 (बृहस्पतिवार) से पूर्व, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधो के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचन कर दें ।

[सं 100 रा० स०-मिजो 6/72(1)]

S.O. 432-B(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MIZ/6/72(1), dated the 16th June, 1972:—

(a) the 23rd June, 1972 (Friday), as the last date for making nominations;
(b) the 24th June, 1972 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) the 26th June, 1972 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d) the 4th July, 1972 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 6th July, 1972 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-MIZ/6/72(2).]

एस० ओ० 432-बी० (अ०).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०-मीजो/6/72-(1), तारीख 16 जून, 1972 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख—23 जून, 1972 (शुक्रवार) ;
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख—24 जून, 1972 (शनिवार) ;
(ग) अभ्यर्थितायें वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख—26 जून, 1972 (सोमवार) ;
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा—4 जूलाई, 1972 (मंगलवार) ; तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा—6 जूलाई,— 1972 (बृहस्पतिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/रा० स०-मीजो/6/72(2)]

S.O. 432-C(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 1.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MIZ/6/72(1), dated the 16th June, 1972.

[No. 100/CS-MIZ/6/72(3).]

एस० ओ०–432–सी० (अ०).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०–मीजो/6/72(1), तारीख 16 जून, 1972 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10–00 बजे पूर्वाह्न से 1–00 बजे अपरान्ह तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[सं० 100/रा० स०–मीजो०/6/72(3)]

S.O. 432-D(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Mizoram, hereby designates the Deputy Commissioner, Aijal, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MIZ/6/72(1), dated the 16th June, 1972.

[No. 100/CS-MIZ/6/72(4).]

एस० ओ०–432–डी० (अ०).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग मीजोरम सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०–मीजो०/6/72(1), तारीख 16 जून, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए उपायुक्त ऐजल को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 100/रा० स०–मीजो/6/72(4)]

S.O. 432-E(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Additional Deputy Commissioner, Aijal, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MIZ/6/72(1), dated the 16th June, 1972, in the performance of his functions

[No. 100/CS-MIZ/6/72(5).]

By order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ०–432–ई० (अ०).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०-मीजो०/6/72(1), तारीख 16 जून, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए अपर उपायुक्त ऐजल, को एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 100/रा० स०/मीजो/6/72(5)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972